यूपी में फार्च्यून कंपनियों की राह आसान

मंजूरी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश की राह और आसान हो गई है। कैबिनेट बैठक में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई), विदेशी पूंजी निवेश (एफसीआई) तथा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फार्च्यून इंडिया 500 प्रोत्साहन नीति में दूसरे संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिद की औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र के लिए चिह्नित भूमि पर अपफ्रंट लैंड सब्सिडी कुछ शर्तों के तहत दी जाएगी।

फॉर्च्यून ग्लोबल 500 तथा फार्च्यून इंडिया 500 श्रेणी की कंपनियां यदि



बेयरहाउस, लॉजिस्टिक तथा निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने में एक हजार करोड़ तक निवेश करती हैं तो उन्हें उप पट्टा की सुविधा दी जाएगी। न्यूनतम 250 करोड़ का निवेश एफडीआई या एफसीआई के जरिए लाना अनिवार्य होगा। इनमें से न्यूनतम दस प्रतिशत निवेश एफडीआई तथा बाकी एफसीआई के जरिए किया जा सकेगा।

आवंटित भूमि पर भी दी जाएगी सब्सिडी

इस नीति के तहत राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास से आवंटित भूमि मूल्य पर अप फ्रंट लैंड सब्सिडी दी जाएगी। पश्चिमांचल व मध्यांचल में 75 प्रतिशत तथा बुंदेलखंड व पश्चिमांचल में सब्सिडी 80 प्रतिशत तक होगी। अप फ्रंट लैंड सब्सिडी प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों को मौजूदा बंधक व्यवस्था के विकल्प के रूप में सब्सिडी राशि के बराबर बैंक गारंटी या राज्य सरकार की तय समतुल्य वित्तीय प्रतभूति प्रस्तुत करने की सुविधा दी जाएगी। कॉमर्शियल उत्पादन शुरू होने तथा प्रस्तावित पूंजी का 50 प्रतिशत इस्तेमाल होने पर ही बैंक गारंटी अवमुक्त की जाएगी।